

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।  
 रिपोर्ट लेखपाल ————— बनाम ————— देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी।  
 वाद संख्या 85  
 अन्तर्गत धारा-143 ज० वि० अधिनियम  
 गौजा-प्रतापपुर चमुर्खा  
 परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर  
 जनपद-अम्बेडकरनगर।

### निर्णय

प्रार्थी राणा रणधीर सिंह प्रबन्धक देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी अम्बेडकरनगर द्वारा ज० वि० अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 व तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थी ग्राम-प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या-2938/0.158 हे० व गाटा संख्या-2940/0.089 हे० के सकम्पणीय भूमिधर है। उक्त आराजी गाटा संख्या-2938/0.158 हे० व गाटा संख्या-2940/0.089 हे० का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम-प्रतापपुर चमुर्खा के गाटा संख्या-2938/0.158 हे० व गाटा संख्या-2940/0.089 हे० का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर देव इन्द्रावती महाविद्यालय संचालित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज० वि० अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

### आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम-प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष-1416-1421 फसली के खाता संख्या-961 के गाटा संख्या-2938/0.158 हे० व खाता संख्या-962 के गाटा संख्या-2940/0.089 हे० को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या 961 व 962 के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरागद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

मिलकाजिम 15/3/13  
 RA

मे ३ ६०००० - 250

हस्ताक्षर - 329



15/3/13  
 उप जिलाधिकारी  
 अकबरपुर।

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।  
राना रनधीर सिंह प्रबन्धक देव इन्द्रावती महाविद्यालय, कटेहरी ————— वनाम  
ग्रामसमा ।

वाद संख्या- ७७  
अन्तर्गत धारा-143 ज० वि० अधिनियम  
मौजा-प्रतापपुर चमुखर्वा  
परगना व तहसील अकबरपुर  
जनपद-अम्बेडकरनगर।

### निर्णय

वादी राना रनधीर सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासी ग्राम-करमपुर तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा ज० वि० अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वह ग्राम- प्रतापपुर चमुखर्वा परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या-2939/0.107 हे० संकमणीय भूमिघर है, जिस पर देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसकी चौहद्दी पूरव देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी उत्तर देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी दक्षिण देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी एवं पश्चिम देव इन्द्रावती महाविद्यालय का प्रयोग बतौर अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की नजरी नक्शा सहित आख्या अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम- प्रतापपुर चमुखर्वा परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या-2939/0.107 हे० का संकमणीय भूमिघर है। उक्त भूमि का प्रयोग बतौर अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज० वि० अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

### आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम-प्रतापपुर चमुखर्वा परगना व तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष-1416-1421 फसली के खाता संख्या-082 के गाटा संख्या-2939/0.107 हे० लगान 2.15 को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। जिसकी चौहद्दी पूरव देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी उत्तर देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी दक्षिण देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी एवं पश्चिम देव इन्द्रावती महाविद्यालय में स्थित है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या 082 के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। संलग्न नजरीनक्शा आदेश का अंग होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रापलो संघेत अभिलेखागार हो।

जिलाधिकारी - 27/11/13  
अकबरपुर-3  
2013/11/20



उप जिलाधिकारी  
अकबरपुर।



न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर ।  
रिपोर्ट लेखपाल — बनाम — देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी आदि ।

वाद संख्या- 29

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधिनियम

मौजा-प्रतापपुर चमुखर्वा

परगना तहसील अकबरपुर

जनपद-अम्बेडकरनगर

### निर्णय

प्रार्थी देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी व रामदेव जनता विद्यालय कटेहरी द्वारा प्रबन्धक रानारणधीर सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासीग्राम-करमपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उक्त दोनों संस्थायें ग्राम-प्रतापपुर चमुखर्वा के गाटा संख्या-2949कमि. / 2.024हे0 के सह सक्रमणीय भूमिधर है। उक्त आराजी गाटा संख्या-2949कमि./2.024हे0 का प्रयोग बतौर आबादी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनीगण द्वारा प्रार्थित आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी व रामदेव जनता विद्यालय कटेहरी द्वारा प्रबन्धक रानारणधीर सिंह पुत्र देवनाथ सिंह निवासीग्राम-करमपुर परगना तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उक्त दोनों संस्थायें ग्राम-प्रतापपुर चमुखर्वा के गाटा संख्या-2949कमि. / 2.024हे0 के सह सक्रमणीय भूमिधर है। उक्त आराजी गाटा संख्या-2949कमि./2.024हे0 का प्रयोग बतौर आबादी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यावस्थ अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किये जाने योग्य है।

### आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम-प्रतापपुर चमुखर्वा परगना तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष-1410-1415 फसली के खाता संख्या-1224 के गाटा संख्या-2949कमि./2.024 हे0 को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या-1224 के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

मि. ल. लि. 14/3/12

प. म. 25

न. म. 330

उप जिलाधिकारी,  
अकबरपुर।

